उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-12

संख्याः-142/2025/1350/23-12-2025-1973908

लखनऊ: दिनांक : 10-11-2025

शुद्धि-पत्र

अवगत कराना है कि शासनादेश पोर्टल पर अपलोड शासनादेश सं0-133/2025/001-1133-23-12-2025-1973908, दिनांक 28.10.2025 द्वारा 56 कार्यों हेतु रूपया 1510.58 लाख की प्रदान की गई प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश के प्रस्तर-1 के प्रथम एवं द्वितीय चरण से आच्छादित कार्य की तालिका के क्रमांक-29 पर अंकित कार्य की लागत रू0 10.19 लाख के सापेक्ष कॉलम-8 में रू0 5.09 लाख के स्थान पर टंकण त्रुटिवश रू0 5.095 लाख अंकित हो गया है, जो वास्तविक रूप से रू0 5.09 लाख है।

2- अत: उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 के द्वितीय चरण से आच्छादित 31 कार्य की तालिका के क्रमांक-29 पर अंकित कार्य के कॉलम-8 में अंकित धनराशि रू0 5.095 लाख के स्थान पर रू0 5.09 लाख पढ़ा जाये। उक्त शासनादेश की शेष नियम व शर्ते यथावत रहेगी।

रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव

पृ0सं0-142/2025-1350(1)/23-12-2025-1973908 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
12- अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- नोडल अधिकारी, (ऑनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in